न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

राजस्व वाद संख्या 56/2018 जिला अजमेर

मनोहर पुत्र बख्ताराम, जाति रेगर, निवासी प्रताप नगर, नई बस्ती, अजमेर।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र कालू
2. जीतमल पुत्र कालू
3. जगदीश पुत्र कालू
4. सरोज पुत्री कालू

   समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।
6. उप पंजीयक महोदय, अरडका, जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम</u>

समक्ष

श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

उपस्थित :–

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी — अभिभाषक वादी
2. श्री हेमराज गुप्ता — राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 4.12.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर अवस्थित हाल खसरा नम्बर–1720, रकबा –.49 हैक्टयर, किस्म बारानी 3 एंव खसरा नम्बर 1720/2208, रकबा 0.65 हैक्टयर, किस्म बारानी 3 वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की संयुक्त सहखातेदारी व काश्तकारी की आराजी है। वर्णित आराजियात पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 अपने–अपने हिस्से पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। जिसमें वादी का 13/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–1 का 16/60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का 3/60 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या 4 का 1/60 हिस्सा निहित है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य बाहमी बंटवारा हो रखा है परन्तु आज दिनांक तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस न्यायिक बंटवारा नहीं हुआ है तथा सहखातेदार संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण के मन में अब बेइमानी आ गई है इसलिए प्रतिवादीगण वादी को खेत जौतने, बोने, निराई–गुडाई करने फसल काटने तथा लाटने एंव लगान जमा कराते समय झगडा फसाद करने पर आमादा है जिससे अब संयुक्त काश्त किया जाना सम्भव नहीं हो रहा हैं। अतः भूमि की किस्म, लगान व मूल्य के अनुसार रेकार्ड तथा मौके पर न्यायिक विभाजन किया जाना आवश्यक है इस हेतु वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। विवादित आराजियात पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। उक्त विवादित आराजि में वादी का 13/20 हिस्से निहित है जो मौके पर खसरा नम्बर 1720 एंव 1720/2208 के उत्तरी सीमा लगते हुए दक्षिण की ओर स्थित है। लेकिन प्रतिवादीगण ... वादी के निहित हिस्से की भूमि को रहन, बैचान तथा वादी को उक्त आराजी से ... कर बेदखल करने पर सख्त आमादा है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में ... के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी व मदाखलद उत्पन्न कर भूमि ... तथा भूमि के

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested
Scanned by CamScanner

विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवारा कराये बेचान करने पर सख्त आमादा है यदि वे सफल हो गये तो वादी अपनी क्रयशुदा खातेदारी की काश्तकारी की भूमि में निहित अपने हिस्से से महरूम हो जाएगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे। वादी द्वारा अपने वाद कथनो के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2071–74 व नक्शा ट्रेस सन् 1983–84 की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तुत की गई।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 बावजूद तामिल सम्मन के अनुपस्थित रहे अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व दिनांक 19.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दिनांक 10.10.2019 को राजकीय अभिभाषक ने कथन किया की विवादित आराजी खातेदारी व सहकाश्तकारी की आराजी है जिसमें राजहित निहित नहीं है।

वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य पीडब्लयू 1 श्री मनोहर के बयान कराये गये तथा प्रदर्श 1 जमाबंदी संम्वत 2071–74 व सन् 1983–84 नक्शा ट्रेस के दस्तावेज को प्रदर्शित कराये गये।

वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर पक्षकारान के मध्य बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

वादी अभिभाषक द्वारा वाद में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर अवस्थित हाल खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.49 हैक्टयर किस्म बारानी 3 खसरा संख्या 1720/2208 रकबा 0.65 हैक्टयर जिसमें वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी का 13/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–1 का 16/60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/60 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या–4 का 1/60 हिस्सा निहित करता है। इस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर बाहमी बटवारे के अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण वादी को खेत जोतने, बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने एंव लगान जमा कराते समय झगडा फसाद करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि में दखलअंदाजी उत्पन्न कर बेदखल करते है तो वादी को अपनी उक्त आराजी की भूमि से महरूम होना पडेगा जिसका आंकलन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार अजमेर को उक्त विवादित आराजी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी) का आंकलन करते हुए भूमि के विभाजन हिस्से अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है। बंटवारा प्रस्ताव भिन्न–भिन्न रंगो को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस व बटवारा प्रस्ताव तीन प्रतियों में मय प्रमाणित बंटवारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री इसी कदर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 4.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय मुद्रा से प्रदत व सुनाया गया।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
प्राथमिक डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर
श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस

... पुत्र बख्ताराम, जाति रेगर, निवासी प्रताप नगर, नई बस्ती, अजमेर।

वादी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र कालू
2. जीतमल पुत्र कालू
3. जगदीश पुत्र कालू
4. सरोज पुत्री कालू

समस्त जाति खटीक, निवासी ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर।
6. उप पंजीयक महोदय, अरडका, जिला अजमेर।

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक 4/2/2020

वादी की ओर से अभिभाषक मदनपुरी गोस्वामी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एकपक्षीय कार्यवाही व राजकीय अभिभाषक श्री हेमराज राठौड असालतन स्वंय उपस्थित। इस वाद में आज तारीख को श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:– वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर अवस्थित हाल खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.49 हैक्टयर किस्म बारानी 3 खसरा संख्या 1720/2208 रकबा 0.65 हैक्टयर जिसमें वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी का 13/20 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्य–1 का 16/60 हिस्सा प्रतिवादी संख्या–2 का 1/60 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 3/60 हिस्सा एंव प्रतिवादी संख्या–4 का 1/60 हिस्सा निहित करता है। इस पर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर बाहमी बटवारे के अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण वादी को खेत जोतने, बोने, निराई गुडाई करने, फसल काटने तथा लाटने एंव लगान जमा कराते समय झगडा फसाद करने पर आमादा है यदि प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि में दखलअंदाजी उत्पन्न कर बेदखल करते है तो वादी को अपनी उक्त आराजी की भूमि से महरूम होना पडेगा जिसका आंकलन मुद्रा में किया जाना संभव नहीं है। अतः तहसीलदार अजमेर को उक्त विवादित आराजी बाई मिटस एण्ड बाउण्डस (अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी) का आंकलन करते हुए भूमि के विभाजन हिस्से अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है। बंटवारा प्रस्ताव भिन्न–भिन्न रंगो को दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस व बटवारा प्रस्ताव तीन प्रतियों में मय प्रमाणित बंटवारा इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री इसी कदर जारी हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1–वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2–शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3–प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4–.......रूपयेपरप्लीडर की फीस 5–साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6–कमिश्नर की फीस 7–आदेशिका की तामिल	/	शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह– व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

श्याम सुन्दर बिश्नोई
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर जिला अजमेर
राजस्व वाद संख्या 56/2018
अन्तर्गगत धारा 53,188 आरटीए
बनाम लक्ष्मण

...र

...–तहसीलदार,
अजमेर

विषयः– निर्णय निर्णय व डिक्री की पालना हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको उपरोक्त प्रकरण मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 की प्रति सलंग्न भिजवाई जा रही है, नियमानुसार निर्णय डिक्री की पालना मे बटवारा प्रस्ताव तीन तीन प्रतियो मे मय भिन्न भिन्न नक्शे की प्रतियो के न्यायालय मे अतिशीघ्र प्रस्तुत करें

सलग्नः–उपरोक्त

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2020.09.25 12:13:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner